16-08/2014-डीआरसी/सीसीपीडी(पार्ट खंड II)

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5वां तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली -03
दिनांक: नवम्बर, 2023

<u>परिपत्र</u>

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन(सीसीपीडी) के पद को भरने हेतु

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

1. <u>पद का नाम</u> : मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन
2. <u>मुख्यालय</u> : नई दिल्ली
3. <u>वेतनमान</u> : भारत सरकार के सचिव को स्वीकार्य अनुसार वेतन मान और भत्ते। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग की व्यवस्था के अनुसार वर्तमान वेतन 2,25,000/- रुपये प्रति माह (निश्चित) है।

जहां मुख्य आयुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी सेवक या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी संस्थान या स्वायत्त निकाय का सेवारत कर्मचारी है और ऐसी पिछली सेवा के लिए पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो इन नियमों के तहत उसे स्वीकार्य वेतन से उस पेंशन की राशि कम कर दी जाएगी, और यदि उसने पेंशन के एक हिस्से के बदले में परिवर्तित मूल्य (कम्यूटेड वैल्यू) प्राप्त किया है, तो उस पेंशन के ऐसे परिवर्तित(कम्यूटेड) हिस्से की राशि कम कर दी जाएगी।

4. आयु सीमा:

01.01.2024 की स्थिति के अनुसार 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए बशर्ते कि यह इसके तहत क्रम सं.7 में उल्लिखित प्रावधान के अधीन होगा।

5. शैक्षिक योग्यता:

I. अपेक्षित:

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि।

II. वांछनीय :

सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. अनुभव:

केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध-सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित मामलों या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में ग्रूप "ए" स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम पच्चीस वर्षों का अनुभव होना चाहिए ।

बशर्ते कि कुल पच्चीस वर्षों के अनुभव में से, उसे दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

7. मुख्य आयुक्त के कार्यालय की अवधि:

(क) मुख्य आयुक्त के कार्यालय का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो।

(ख) एक व्यक्ति अधिकतम दो कार्यकाल के लिए मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य कर सकता है बशर्ते कि उन्होंने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

(ग) यदि कोई आवेदक केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा में है, तो वह पद पर अपनी नियुक्ति से पहले ऐसी सेवा से सेवानिवृत्ति की मांग करेगा।

8. मुख्य आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य:

मुख्य आयुक्त की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और / या समय-समय पर यथासंशोधित इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

9. <u>मुख्य आयुक्त की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें</u>:

(क) छुट्टी :

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी का हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत:

मुख्य आयुक्त ऐसी छुट्टी यात्रा रियायत के हकदार होंगे जो केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के तहत समकक्ष स्तर के ग्रूप 'ए' के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं ।

(ग) मुख्य आयुक्त ऐसे चिकित्सा लाभों के हकदार होंगे जो केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत समकक्ष स्तर के ग्रूप 'ए' के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य हैं।

10. <u>अवशिष्ट प्रावधान</u>:

मुख्य आयुक्त की सेवा की शर्त, जिसके संबंध में इन नियमों और आदेशों में कुछ समय के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, वही है, जो भारत सरकार के सचिव पर लागू होती है।

11. पात्र उम्मीदवारों से दावे के समर्थन में सहायक दस्तावेजों वाले निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध) में आवेदन 'रोजगार समाचार' में इस विज्ञापन के प्रकाशन के 45 दिनों के भीतर सुश्री मीना कुमारी शर्मा, उप सचिव, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 5 वीं मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 के पते पर भेज सकते हैं। आवेदन को क्रमांकित पृष्ठों के साथ विधिवत रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इसे एकल इकाई के रूप में भेजा जाना चाहिए न कि भागों में। सहायक दस्तावेजों के बिना प्राप्त आवेदन अस्वीकृत किए जा सकते हैं। केंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/स्वायत्त निकायों आदि में कार्यरत व्यक्ति उचित माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। हालांकि, आवेदन की एक अग्रिम प्रति भेजी जा सकती है।

(नवीन कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

<u>**संग्लनक**</u> : आवेदन के प्रपत्र में निहित अनुबंध।

<u>**प्रतिलिपि-**</u>

1. डीईपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट।
2. ई-ऑफिस में अपलोड करने के लिए स्थापना/प्रशासन प्रभाग।
3. मीडिया प्रभाग को समाचार पत्रों में लघु संस्करण प्रकाशित करने के लिए।

परिपत्र संख्या 16-08/2014-डीआरसी/सीसीपीडी (पार्ट खंड-II) का अनुबंध

दिनांक : नवम्बर, 2023

मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के पद के लिए आवेदन हेतु प्रपत्र

1. (क) नाम (बड़े अक्षरों में):

   (ख) दूरभाष संख्या और ई-मेल आईडी सहित पता

2. (क) जन्मतिथि: (ख) 1.1.2024 के अनुसार आयु

3. (क) शैक्षिक और अन्य योग्यताएँ:

   (ख) क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा हैं (हां/नहीं)? यदि हां तो उसका विवरण दें:

   (ग) प्रकाशित शोध पत्र (संक्षिप्त में विवरण दर्शाएं)

4. अनुभव का विवरण:

(क) क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगता से संबंधित कार्य या सामाजिक क्षेत्र से संबंधित कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में ग्रुप ''ए'' स्तर के पद पर या दिव्यांगता या सामाजिक विकास के क्षेत्र में पंजीकृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में वरिष्ठ स्तर के पदाधिकारी के रूप में न्यूनतम 25 वर्षों का अनुभव है? (हां/नहीं) यदि हां तो उसका विवरण दें।

क्र.सं.	कार्यालय/ संगठन	संगठन का संक्षिप्त विवरण	वेतनमान/संकलित वेतन सहित धारित पद	…से… तक सेवा की अवधि	नियुक्ति की प्रकृति-क्या नियमित / तदर्थ / प्रतिनियुक्ति / मानद है	कर्तव्य / जॉब का विवरण

(ख) क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या अर्ध सरकारी या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वायत्त निकाय में ग्रुप ''ए'' स्तर के पद में न्यूनतम 3 वर्ष (25 वर्षों में से) का अनुभव है? (हां/नहीं) यदि हां तो उसका विवरण दें।

क्र.सं.	कार्यालय/ संगठन	संगठन का संक्षिप्त विवरण	वेतनमान/संकलित वेतन सहित धारित पद	...से... तक सेवा की अवधि	नियुक्ति की प्रकृति-क्या नियमित / तदर्थ / प्रतिनियुक्ति / मानद है	कर्तव्य/ जॉब का विवरण

5. वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण दें, कृपया बताएं कि किसके अधीन कार्य कर रहे हैं:-

i. केंद्र सरकार:

ii. राज्य सरकार/संघ राज्य प्रशासन:

iii. मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान:

iv विश्वविद्यालय/स्वायत्त या सांविधिक संगठन:

v. पंजीकृत निकाय (सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, न्यास अधिनियम या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम या धर्मार्थ कंपनी, जो कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त है, के अधीन पंजीकृत है):

vi. अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी/सोसाइटी/संघ आदि

(यदि पंजीकृत निकाय है तो संगठन का साइज और उसका कार्यक्षेत्र दर्शाएं):

6. अतिरिक्त सूचना यदि कोई हो जिसे आपके उम्मीदवारी के समर्थन में आप उल्लेख करना चाहते हैं:

7. क्या अनु.जा/अनु.ज.जा से संबंधित है/ दिव्यांगजन है:

8. यदि आपके आवेदन के साथ उपलब्ध जानकारी / दस्तावेज अपर्याप्त हैं तो संदर्भ के लिए दो व्यक्तियों के नाम, पता और टेलीफोन नंबर, जिनसे अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है:

i) संपर्क 1

क) नाम:

ख) पता:

ग) संपर्क संख्या:

घ) ईमेल:

ii) संपर्क 2

क) नाम:

ख) पता:

ग) संपर्क संख्या:

घ) ईमेल:

9. प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज (नीचे उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा प्रदान किए गए दस्तावेजों का विवरण निम्नलिखित तालिका की अगली पंक्तियों में संलग्न किया जा सकता है:

क्र.सं.	दस्तावेज के प्रकार	प्रस्तुत किया गया है या नहीं (जहां भी लागू हो ✓लगाएं)		आवेदन में दस्तावेज़ की पृष्ठ संख्या
		हां	नहीं	
1	जन्म प्रमाण पत्र की तिथि			
2	श्रेणी प्रमाण पत्र (अनु.जा/अनु.ज.जा/ दिव्यांगजन)			
3	शिक्षा प्रमाण पत्र (अपेक्षित और वांछनीय)			
3 i)	अपेक्षित (मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक)			
3 ii)	वांछनीय (क्या सामाजिक कार्य या विधि या प्रबंधन या मानव अधिकार, या दिव्यांगजनों के पुनर्वास या शिक्षा में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा है)			
4	अनुभव प्रमाण पत्र			
5	वर्तमान वेतन प्रमाण पत्र			
6	गैर सरकारी संगठनों के अनुभव के मामले में नियोक्ता / संगठन का पंजीकरण प्रमाण पत्र			

10.	क्या उपरोक्त दावों के संबंध में कोई सहायक दस्तावेज नहीं है? यदि हां, तो इसे प्रस्तुत नहीं करने का कारण:

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

दिनांक :

स्थान :

संचार के लिए पूरा पता ....